हैं, जिनकी ओर इस बारे में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अनधिकृत कालोनियों की सूची सभा पटल पर रख दी गयी है । (**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** LT-295/77) । सरकार के द्वारा फरवरी, 1977 में निर्धारित नीति के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण तथा विकास की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय क्रियान्वयन निकाय गठित कर लिया गया है ।

(ख) और (ग) फरवरी, 1977 को क्रियान्वित करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम को निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो भी सुविधाएं सम्भव हैं वे दी जा रही हैं । दिल्ली नगर निगम ने 32 अनधिकृत कालोनियों में पानी के मेन डाल दिये हैं । और फिर वर्तमान नीति के अनुसार दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान के द्वारा गैर मजूरशुदा कालोनियों में प्रवर्तकों/निवासी कल्याण संस्थाओं के विशेष अनुरोध पर सामान्य विद्युतीकरण किया जा रहा है बशर्ते सामान्य व्यापारिक औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं । जिन कालोनियों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है उनके नाम एकत्र किए जा रहे हैं ।

निर्माण और आवास तथा संचार मंत्रालयों को गृह निर्माण समिति के नए सदस्यों को भूमि का आवंटन

7. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास तथा संचार मंत्रालयों की गृह निर्माण समिति के उन कुछ सदस्यों की सदस्यता, जो वित्तीय कठिनाई के कारण समय पर भूमि की लागत की किश्त नहीं चुका सके थे, समाप्त कर दी गई थी और उनके स्थान पर बनाये गये नये सदस्यों को भूमि आबंटित की गई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार पुराने शेयरधारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपना कर उन्हें भूमि की लागत का भुगतान करने का अवसर देने का है; और

(ग) उन पुराने शेयरधारियों को, जो समिति की स्थापना के समय से इसके सदस्य रहे हैं, दस अथवा पन्द्रह वर्ष बाद बने नये सदस्यों की तुलना में न्याय देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) संभवतः माननीय सदस्य निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय सहकारी गृह निर्माण समिति लि० की सदस्यता के बारे में पूछ रहे हैं । यदि ऐसा है तो उत्तर हां में है ।

(ख) जी, नहीं । सहकारी समिति अधिनियम, नियमों तथा उप नियमों के अधीन इन सभी मामलों पर विचार करना समिति की प्रबन्ध कमेटी का काम है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति के विरुद्ध शिकायतें

8. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय (राजस्थान) के उपकुलपति के विरुद्ध सरकार को भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;